संख्या-72/201/84-डे0ई0-14-नि0-09/2012

प्रेषक,

दीपक त्रिवेदी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
उ0प्र0 सचिवालय सत्कार सेवा संस्था,
जवाहर भवन, लखनऊ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बॉट माप डे0ई0 लखनऊ :: दिनांक 25 फरवरी, 2014

विषयः- उ0प्र0 सचिवालय सत्कार सेवा संस्था के कार्मिकों की अधिवर्षता आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-672/सचि0स0से0-2013, दिनांक 28 सितम्बर, 2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-493/दस-2013, दिनांक 12 अगस्त, 2013 में विहित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए उ0प्र0 सचिवालय सत्कार सेवा संस्था कर्मचारी सेवा नियमावली 2010 के नियम-25 में नियत अधिवर्षता आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृत प्रदान करते हैं।

2- संगत सेवा नियमावली में तद्नुसार शीघ्र संशोधन करा लिया जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-7-242/दस-14, दिनांक 25 फरवरी, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(दीपक त्रिवेदी)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश।
2- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, खाद्य एवं रसद विभाग।
3- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग/उपभोक्ता संरक्षण एवं बॉट माप विभाग।
5- उपभोक्ता सरक्षण एवं बॉट माप अनुभाग-1/2
6- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2/ वित्त (व्यय नियत्रण) अनुभाग-7
7- गार्ड बुक।

आज्ञा से

(धर्म चन्द्र पाण्डेय)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/